सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-178 / 2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–940 एवं 943, दिनांक 27.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
माया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सेलाकुई, देहरादून	बी०फार्मा०	60	2020–21

(1) राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–4121 दिनांक 24.02.2020 के क्रम में यह भी कि शासन द्वारा संस्थान को निर्गत अनापत्ति एवं संशोधन संबंधी शासनादेश दिनांक 11.09.2019 तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2020 को संज्ञान में रखते हुए ही सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता निर्गत की जाए।

(2) निरीक्षण समिति द्वारा पायी गई कतिपय कमियों की पूर्ति कराने के उपरान्त एवं यू०जी०सी०, नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में कार्यपरिषद् की संस्तुति से सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3– अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या–3113 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-178 / 2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।